# अध्याय– III
# अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों, उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ–साथ स्वायत्त निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है। इन्हें आगामी कंडिकाओं में प्रक्षेत्र–वार प्रस्तुत किया गया है।

## सामान्य प्रक्षेत्र

### गृह विभाग

### *3.1 सरकार को हानि*

**बेऊर कारा, पटना के 83 आवासीय परिसर में पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किये जाने तथा घरेलू विद्युत उपभोग हेतू उच्च क्षमता संबंध से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के साथ एकरारित माँग से अधिक विद्युत खपत किये जाने के फलस्वरूप ₹1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।**

बिहार विद्युत विनियमन आयोग (बि.वि.वि.आ.) शुल्क आदेश के कंडिका 7.1 के अनुसार यदि किसी माह में दर्ज अधिकतम माँग एकरारित माँग से 110 प्रतिशत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक माँग वाले हिस्से पर एकरारित माँग के सामान्य शुल्क का दुगुना शुल्क देय होगा।

अधीक्षक आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर, पटना (कारा) के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसंबर 2014) में पाया गया कि 371 के.वी.ए. एकरारित माँग की आपूर्ति के साथ 11 के.वी. (तीन फेज) उच्च क्षमता (उ.क्ष.) का विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु बिहार विद्युत बोर्ड एवं कारा अधीक्षक के बीच एकरारनामा किया गया (अगस्त 2005)। अधीक्षण अभियंता, पटना विद्युत आपूर्ति इकाई (पेसू), पश्चिम सर्किल, पटना ने बेऊर कारा परिसर में अप्रैल 2007 से मार्च 2015 तक की अवधि के विद्युत उपभोग के लिए ₹1.12 करोड़ दंडात्मक माँग प्रभार वसूल किया, जो मांग करार से ऊपर उपभोग के भार के कारण था, जो 427.40 के.वी.ए. से 845 के.वी.ए. था।

आगे की संवीक्षा ने उजागर किया कि कारा परिसर के विद्युत शुल्क के भुगतेय राशि में, 83 सरकारी आवासीय परिसर[1] भी सम्मिलित था क्योंकि वर्ष 2007–08 से इन आवासों के लिए पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किया गया था। आवासीय परिसर हेतु पृथक विद्युत मीटर होने से कारा परिसर का विद्युत शुल्क कम हो जाता एवं एकरारित माँग के ऊपर भार के उपयोग किये जाने से विद्युत मद में दंडात्मक भुगतेय राशि को बचाया जा सकता था। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने भी कहा (अक्टूबर 2013) कि कर्मी के आवासीय परिसर के विद्युत उपभोग की राशि का भुगतान संबंधित कार्यालयों के द्वारा करने का प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार बेऊर कारा, पटना के 83 आवासीय परिसर में पृथक विद्युत मीटर अधिष्ठापित नहीं किये जाने तथा घरेलु विद्युत उपभोग हेतु उच्च क्षमता (उ.क्ष.) संबंध से ही विद्युत उर्जा की आपूर्ति किये जाने के फलस्वरूप विद्युत खपत एकरारित माँग से बढ़ा जिससे ₹1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

---

[1] *बिजली विभाग द्वारा समर्पित भार संगणना प्रतिवेदन के अनुसार आवासीय परिसर हेतु कुल संगणित भार :– 249 K.W.(311.25KVA)*

महानिरीक्षक (कारा) ने जवाब दिया (सितंबर 2015) कि कर्मियों को आवासीय परिसर में घरेलु विद्युत मीटर अधिष्ठापित करने हेतू सूचना जारी कर दी गई थी एवं कारा की विद्युत संबंध के भार बढ़ाने हेतू कार्रवाई की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015); स्मार के बावजूद (अगस्त 2015) जवाब अप्राप्त है।

## योजना एवं विकास विभाग

### *3.2 सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन पर आधिक्य व्यय*

**जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा निर्धारित ब्रेडा दर से अधिक दर पर सोलर स्ट्रीट लाईट्स की क्रय एवं अधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ₹7.01 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।**

बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली (बि.वि.नि.) 2005, के नियम 126 के अनुसार प्रत्येक प्राधिकारी, जिन्हें समानों के अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय शक्तियाँ प्रदत है, का यह कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वह लोक अधिप्राप्ति के मामलों में दक्षता, मितव्ययिता तथा पारदर्शिता लाए एवं स्वयं को संतुष्ट करें कि चयनित प्रस्ताव का मूल्य अपेक्षित गुणवत्ता के प्रति तर्कसंगत एवं अनुरूप है।

जिला योजना पदाधिकारी (जि.यो.पदा.), दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा एमपीलैड्स[2] के अंतर्गत क्रयित एवं अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट्स से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच (सितम्बर 2014 एवं जून 2015) में पाया गया कि राज्य सरकार ने सोलर उपकरणो के क्रय हेतु बेल्ट्रॉन के स्थान पर ब्रेडा[3] को राज्य क्रय संस्थान (रा.क्र.सं.) के रूप में प्रतिस्थापित (सितम्बर 2012) किया। सहायक निदेशक, ब्रेडा ने भी जि.यो.पदा., दरभंगा को सौर उपकरणो का क्रय ब्रेडा प्राधिकृत लाइसेंस चैनल साझीदार/शॉपस जैसे कि अक्षय उर्जा शॉप, बेगुसराय से ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर करने हेतु निर्देश (जनवरी 2013) जारी किया। इसकी पुष्टि प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा भी (जून 2013) में किया गया। निदेशक, ब्रेडा ने भी निर्दिष्ट (जुलाई 2013) किया कि सोलर लाईट का क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य निविदा प्रक्रिया के तहत् अक्षय ऊर्जा शॉप से किया जाए। ब्रेडा ने नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के विनिर्देशनों के अनुरूप सोलर लाईट[4] के क्रय एवं अधिष्ठापन का दर प्रति लाईट ₹61,775 निर्धारित (सितम्बर 2013) किया।

ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरो (₹61,775) के उपलब्धता के बाबजूद भी जि.यो.पदा., दरभंगा तथा खगड़िया क्रमशः 674 एवं 28 सोलर लाईट्स के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु अक्षय उर्जा शॉप, बेगूसराय को ₹1.75 लाख प्रति लाईट के दर पर आदेश (अगस्त 2013 से फरवरी 2014) दिया। यद्यपि कुल मूल्य ₹12.29 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹10.83 करोड़ का ही भुगतान किया गया था, दरभंगा तथा खगड़िया में क्रमशः 596 तथा 23 सोलर लाईट्स ही मात्र अधिष्ठापित (जूलाई 2015 तक) किये गये थे। इस प्रकार, इस संबंध में जारी निर्देशों के बाबजूद भी संबंधित जि.यो.पदा. निविदा प्रक्रिया के तहत ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों पर अक्षय ऊर्जा शॉप से सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.01 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, जि.यो.पदा., दरभंगा एवं खगड़िया ने कहा (सितम्बर 2014) कि सहायक निदेशक, ब्रेडा के पत्र (जनवरी 2013) के आधार पर अक्षय ऊर्जा शॉप

---

2 *मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम*

3 *बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण*

4 *(4× 11 वाट) आर्मस लाईट–लेड एसीड टयूबूलर फ्लडेड बैटरी के साथ*

बेगुसराय को लाइसेंस/चैनल साझीदार घोषित किया गया था, जिसे सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य सौंपा गया था। जि.यो.पदा. खगड़िया ने कहा कि निदेशक, ब्रेडा द्वारा जुलाई 2013 में निर्गत आदेश की जानकारी नहीं रहने के कारण, इस आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

जि.यो.पदा. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जि.यो.पदा. दरभंगा एवं खगड़िया द्वारा अक्षय ऊर्जा शॉप से क्रय के लिए न तो निविदात्मक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया और न ही ब्रेडा द्वारा निर्धारित दरों को सुनिश्चित किया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया (जून 2015); स्मार के बावजूद (अगस्त 2015), उनका जवाब प्रतीक्षित है।

## सामाजिक प्रक्षेत्र

### ग्रामीण कार्य विभाग

### *3.3 निष्फल व्यय*

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत साहनगाँव से तियारपारा के बीच सड़क का निर्माण करते समय ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ, पुलों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में विफल रहा। राज्य तकनीकी अभिकरण तथा बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण भी इस चूक पर ध्यान देने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरुप, ₹4.15 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क सितम्बर 2013 से नदियों के आर–पार से असम्बद्ध रहे, जिससे व्यय निष्फल साबित हुआ।**

बिहार सरकार (बि.स.) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) को कार्यकारी अभिकरण के रुप में चिन्हित किया (दिसम्बर 2000) तथा ग्रा.का.वि., कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ को परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प.क्रि.इ.) के रूप में नियुक्त किया (जून 2007) था। परियोजना क्रियान्वयन इकाई का उत्तरदायित्व प्र.मं.ग्रा.स.यो. के समन्वय एवं क्रियान्वयन तथा यह सुनिश्चित करना था कि 25 मी0 से अधिक विस्तृति वाले पुलों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) अधीक्षण अभियंता, ग्रा.का.वि. एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (रा.ग्रा.स.वि.अभि.) के द्वारा नियुक्त (अगस्त 2004) राज्य तकनीकी अभिकरण (रा.त.अभि.)[5] के संयुक्त स्थल निरीक्षण के पश्चात् तैयार की गई थी। ग्रामीण कार्य विभाग ने भी सड़क के वि.प.प्र. तैयार करने हेतु एक वि.प.प्र. सलाहकार की नियुक्ति की (जून 2007)। तत्पश्चात्, प्र.मं.ग्रा.स.यो. के दिशा–निर्देशों के आलोक में रा.त.अभि. एवं राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (रा.ग्रा.स.वि.अभि.)[6] द्वारा वि.प.प्र. की संवीक्षा की जानी थी।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.), कार्य प्रमण्डल, पूणियाँ[7] के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2014) से ज्ञात हुआ कि तियारपारा गाँव को बारहमासी संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत साहनगाँव से

---

5 *रा.ग्रा.स.वि.अभि. (राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण) ने प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से ख्यात तकनीकी संस्थानों को चिन्हित करते हुए प.क्रि.इ. को बाह्य स्रातों से प्राप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य तकनीकी अभिकरण (रा.त.अभि.) के रुप में मनोनीत किया। बिहार के संदर्भ में भागलपुर कॉलेज आफ इंजीनीयरिंग, भागलपुर, बी.ई.एस.यू., हावड़ा, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर और एन.आई.टी. पटना।*

6 *बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बि.ग्रा.स.वि.अभि.)*

7 *राज्य सरकार द्वारा प.क्रि.इ. (जून 2007) में नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् मार्च 2012 में यह कार्य ग्रा.का.वि., कार्य प्रमण्डल, बैसी को हस्तांतरित किया गया।*

तियारपारा गाँव के बीच 9.991 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाना था। सड़क की लम्बाई को दो नदियाँ[8] प्रतिच्छेदित करती थीं।

वि.प.प्र. सलाहकार द्वारा सड़क के लिए तैयार किए गए (अगस्त 2008) वि.प.प्र. में दो[9] विभिन्न स्थलों पर 25 मीटर से अधिक विस्तृति वाले स्लैब पुलियों/पुलों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। हाँलांकि, प.क्रि.इ. पुलों के लिए वि.प.प्र. तैयार करने में विफल रहा। प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अनु.) एवं तकनीकी संस्वीकृति (क्रमशः मार्च 2007 एवं अगस्त 2008) ₹467.77 लाख तथा पुनरीक्षित प्र.अनु. ₹571.11 लाख (जुलाई 2009) पर किया गया जो कि नदियों के आर–पार सड़क के दोनों सिरे को जोड़ने वाले पुलो के प्रावधान के बगैर थे। कार्य (पुलों के प्रावधान के बगैर) को ₹5.25 करोड़[10] के एकरारनामा लागत पर जून 2011 तक पूर्ण करने हेतु एक अभिकरण को सौंपा गया (दिसम्बर 2009)। ₹4.15 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया (सितम्बर 2013) परंतु दोनों नदियों पर पुल के अभाव में लक्षित आबादी को बारहमासी संपर्कता उपलब्ध कराने के प्र.मं.ग्रा.स.यो. का उद्देश्य विफल रहा। इस प्रकार, प.क्रि.इ. द्वारा पुलों के वि.प.प्र. तैयार करने में विफलता एवं रा.त.अभि तथा रा.ग्रा.स.वि.अभि. के द्वारा वि.प.प्र. की जाँच में कमी जैसा कि प्र.म.ग्रा.स.यो. के दिशा–निर्देश में विहित है, के परिणामस्वरूप ₹4.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सहायक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, अमौर के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा कार्य स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2014) में भी इसकी पुष्टि की गई कि ग्रामीण नदी पार करने हेतु नाव का उपयोग कर रहे थे।

सचिव, ग्रा.का.वि., बि.स. ने स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि वि.प.प्र. तैयार करने में विलंब हुआ तथा इसे कार्य प्रमण्डल, बैसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वि.प.प्र. के अनुमोदनोपरांत पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराया जा सके।

### *3.4 व्यर्थ व्यय*

**भार–मुक्त भूमि सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ करने के फलस्वरूप कार्य समय पूर्व बंद हो गया जिसमें अनुसूचित जाति बस्ती को बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ तथा ₹83.60 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।**

ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.), बिहार सरकार (बि.स.) के अंतर्गत विशेष अंगीभूत योजना (वि.अं.यो.) का उद्देश्य अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की बस्तियों, जिनकी आबादी 200 से अधिक हो, को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराना था। संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता (का.अ.) को वि.अं.यो. के अंतर्गत सड़कों को ससमय पूर्ण कराने के कार्य का जिम्मेदारी सौंपा गया था। बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि.ले.) संहिता, के अनुसार कार्यारंभ के पूर्व सभी भार–मुक्त भूमि, की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, ग्रा.का.वि. कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अभिलेखों के नमूना जाँच (सितम्बर 2014) में पाया गया कि कसिया महादलित दक्षिण टोला से मथिला मुख्य सड़क तक (2.15 कि.मी.) ग्रामीण सड़क के निर्माण का अनुबंध का.अ., ग्रा.का.वि., कार्य

---

8 *परमान नदी और बखरा नदी*

9 *चेनेज 2290(पुल) स्पैन 60 मीटर लगभग और चेनेज 7373 (पुल) स्पैन 50 मीटर लगभग*

10 *निर्माण के लिए ₹ 4.93 करोड़ और पाँच वर्षों तक सड़कों के रख–रखाव के लिए ₹ 0.32 करोड़*

प्रमंडल, डुमराँव द्वारा एक अभिकरण को ₹1.62 करोड़ के अनुबंधित लागत पर जनवरी 2014 तक पूर्ण करने हेतु दिया (मार्च 2013)। सड़क निर्माण में ग्रैनूलर सब बेस, वाटर बाउन्ड मैकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) ग्रेड–II एवं ग्रेड–III, प्राइम एवं टैक कोट, सील कोट के साथ प्री–मिक्स कारपेट इत्यादि के कार्य सम्मिलित थे। हाँलांकि, भूमि विवाद के कारण संवेदक 0.85 कि.मी. तक केवल सब–बेस तथा डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड–II एवं III का कार्य ही पूरा कर सका तथा किए गए कार्य की मापी की गई (जुलाई 2014) जिसकी लागत ₹83.60 लाख थी।

किए गए कार्य का संयुक्त भौतिक निरीक्षण ग्रा.का.प्र., कार्य प्रमंडल, डुमराँव के कनीय अभियंता (क.अ.) द्वारा लेखापरीक्षा दल के साथ किया गया (मई 2015) तथा इस बात की पुष्टि हुई कि कार्य केवल 0.85 कि.मी. में डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड–III स्तर तक पूर्ण किया गया था तथा किया गया कार्य क्षतिग्रस्त था। सड़क का शेष 1.30 कि.मी. भाग केवल मिट्टी के ट्रैक स्वरुप था जो सिर्फ सूखे मौसम में उपयोग लायक था तथा इससे कोई भी बस्ती संबद्ध नहीं था।

*(सड़क का पहला 0.85 कि.मी.)*

*(1.30 कि.मी. भूमि के विवादित हिस्से का टूकड़ा)*

इस ओर इंगित किए जाने पर सचिव, ग्रा.का.वि. ने जवाब दिया (जुलाई 2015) कि प्रस्तावित सड़क के गैर–विवादित संरेखण में सड़क के लगभग 0.85 कि.मी. की लंबाई का निर्माण ग्रेड–III स्तर तक किया गया तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. में सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान न होने के कारण सड़क के शेष भाग के निर्माण का विचार छोड़ दिया गया। हाँलांकि, सड़क के निर्मित भाग का उपयोग कुछ हद तक ग्रामीणों द्वारा किया गया।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि सड़क का निर्मित भाग समय के साथ खराब हो गया जिससे इसके निर्माण पर ₹83.60 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ तथा ग्रामीण सड़क की अपूर्णता से अ.जा./अ.ज.जा. बस्तियों का बारहमासी संपर्क पथ उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ।

### *3.5 परिहार्य व्यय*

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पाँच सड़कों के निर्माण में लघु खनिजों के प्राप्ति में लीड के अविवेकपूर्ण प्रावधान के फलस्वरुप ₹2.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ एवं सरकार को समान राशि की हानि हुई।**

बिहार वित्तीय नियम (बि.वि.नि.), 2005 परिकल्पित करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक को सरकारी निधि से व्यय करते समय या उसकी अनुमति प्रदान करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च आदर्शो का पालन करना चाहिए। भारतीय सड़क काँग्रेस के ग्रामीण

सड़क नियमावली (ग्रा.स.नि.) परिकल्पित करता है कि सतह के संचरात्मक परतों में उपयोग में लाए गए सामग्रियों को उपलब्धता, मितव्ययिता एवं पूर्व अनुभव के आधार पर चयनित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) में दिसम्बर 2008 से जून 2013 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) के अंर्तगत निर्मित पाँच[11] सड़कों से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि (नवम्बर–दिसम्बर 2014) प्राक्कलन में लघु खनिज[12] के प्राप्ति का प्रावधान पाकुड़ खदान से किया गया था, यद्यपि पाँच कार्यों के स्थल शाहकुण्ड खदान के निकट अवस्थित थे। खनिज विकास पदाधिकारी (ख.वि. पदा.), भागलपुर ने पुष्टि की (मई 2015) कि जी.एस.बी., ग्रेड–II, ग्रेड–III इत्यादि के लिए लघु खनिज यथा स्टोन एग्रीगेट, स्टोन चिप्स, स्टोन मेटल 2008 से जनवरी 2013 तक शाहकुण्ड खदान में उत्पादित किए जा रहे थे एवं उपलब्ध थे। आगे, उपरोक्त पाँचों मामलों में पाकुड़ से कार्य स्थलों की दूरी 113 से 172 कि.मी. के बीच थी जबकि शाहकुण्ड से कार्य स्थलों की दूरी 48 से 103 कि.मी. के बीच थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) के साथ संलग्न लागत प्राक्कलन में संबंधित कार्यपालक अभियंता (का.अ.) द्वारा पाकुड़ से लीड[13] की अनुमति प्रदान की गई थी तथा उसी अनुसार कार्य कार्यान्वित किए गए थे। परिणामस्वरूप प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत पाँच कार्यों के संदर्भ में 53 से 70 कि.मी. की लीड के आधिक्य तथा ₹2.01 करोड़ के परिहार्य व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.1)***।

इसे इंगित किये जाने पर का.अ. ने बताया (अगस्त 2015) कि स्टोन मेटल/लघु खनिजों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के कारण लघु खनिज पाकुड़ खदान से प्राप्त किए गए। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव (अ.मु.का.पदा.–सह–सचिव) बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (बि.ग्रा.प.वि.अभि.), पटना ने बताया (सितम्बर 2015) कि शाहकुण्ड तथा पाकुड़ दोनों अनुमोदित खदान थे तथा शाहकुण्ड खदान में स्टोन मेटल की अपर्याप्त उपलब्धता के करण इनकी प्राप्ति पाकुड़ खदान से की गई।

कार्यपालक अभियन्ता एवं अ.मु.का.पदा.–सह–सचिव के जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ख.वि.पदा., भागलपुर ने स्पष्ट रुप से कहा था कि शाहकुण्ड खदान में जनवरी 2013 तक लघु खनिज उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्रा.का.वि. (कार्य) प्रमंडल, बाँका में अधीक्षण अभियंता (नवम्बर 2009) ने शाहकुण्ड खदान, जो कि अन्य 33 सड़क कार्यों से न्यूनतम दूरी पर था, से पत्थरों के प्राप्ति को अनुमोदित किया तथा 2008-13 के दौरान इसका उपयोग 26 सड़कों एवं आठ पुलों के निर्माण में किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015) है, स्मार–पत्र (अगस्त 2015) के बावजूद, उनका जवाब प्रतीक्षित है।

---

*[11] बाँका–I प्रमंडल की तीन सड़के और बाँका–II प्रमंडल की दो सड़कें*

*[12] ग्रैनुलर सब–बेस (जी.एस.बी.) के लिए स्टोन मेटल, स्टोन एग्रीगेट, क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट, स्टोन चिप्स इत्यादि*

*[13] खदान तथा कार्य स्थल के बीच की दूरी*

## नगर विकास एवं आवास विभाग

### *3.6 निष्फल व्यय*

**आवंटित स्थलों के अतिक्रमित तथा विभाग द्वारा बाधामुक्त भूमि उपलबध कराने में विफलता के परिणामस्वरूप आवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं हो पाया जिससे छः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (वि.प.प्र.) पर किया गया व्यय ₹4.42 करोड़ निष्फल हुआ।**

मलिन बस्तियों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवास, बुनियादी सेवाएँ तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ (श.ग.बु. से.), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (ज.ला.ने.रा.श.न.मि.) का एक अवयव है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ज.ला.ने.रा.श.न.मि. के अंतर्गत बिहार के दो शहरों (पटना तथा बोधगया) का चयन वर्ष 2005–2006 से सात वर्ष की अवधि हेतु किया गया था।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा पटना एवं बोधगया के लिए चरण I से VI के अंर्तगत ₹709.98 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 22,372 आवासीय इकाइयों (आ.ई) के निर्माण के लिए 18 परियोजनाएँ[14] स्वीकृत (2007–09) की गईं। बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) जो नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), बिहार सरकार (बि.स.) के अंतर्गत एक अभिकरण है, को उक्त परियोजना हेतु नोडल अभिकरण नियुक्त (जनवरी 2008) किया गया था। आगे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) के निर्माण के लिए बुडा द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) को कार्यकारी अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया तथा उनके बीच कार्यों के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) (जनवरी 2008) हस्ताक्षरित किया गया।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बुडा को निधि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹78.19 करोड़ के केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए कुल ₹102.42 करोड़ विभाग को आवंटित (2007–10) किया गया। 22,372 आ.ई. के निर्माण के लिए, 18 वि. प.प्र. को तैयार करने हेतु बुडा द्वारा हडको को ₹21.51 करोड़ विमुक्त (मार्च 2008 से सितम्बर 2010) किया गया। परन्तु, हडको द्वारा 14596 आ.ई. के निर्माण हेतु मात्र नौ वि.प.प्र. तैयार किया गया जबकि कार्य मात्र तीन वि.प.प्र. के आधार पर ही प्रारंभ किया जा सका था। तदनुसार, 480 आ.ई. का निर्माण किया गया तथा हडको के द्वारा नौ वि. प.प्र. को तैयार करने के एवज में ₹5.60 करोड़ की माँग की गई जिसमें से ₹4.42 करोड़, छः वि.प.प्र. 11268 आ.ई. के निर्माण से सम्बन्धित थे ***(परिशिष्ट 3.2)***।

हडको के द्वारा परियोजना पर किये गये ₹19.37 करोड. के व्यय की विवरणी बुडा को समर्पित की गई तथा शेष राशि ₹2.14 करोड़ उनके द्वारा रोक कर रखी गई। निदेशक/बुडा द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना (मार्च 2015) के अनुसार, बुडा के द्वारा शेष परियोजना आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भा.स. को समर्पित (जूलाई 2014) कर दिया गया क्योंकि चयनित स्थल अतिक्रमित थे एवं राज्य सरकार के द्वारा कोई और अतिक्रमण–मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित (नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2015) किए जाने पर निदेशक बुडा द्वारा बताया गया (मार्च 2015) कि हडको द्वारा मात्र 480 आ.ई. का ही निर्माण किया गया तथा लाभार्थियों को हस्तांतरित किया गया।

इस प्रकार, हडको द्वारा स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बगैर छः वि.प.प्र. के निर्माण पर व्ययित ₹4.42 करोड़ निष्फल रहा क्योंकि मार्च 2015 तक उक्त वि.प.प्र. पर

[14] *17 परियोजनाएँ पटना में तथां एक परियोजना बोधगया में*

कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका था। रा.ग.बु.से. योजना के तहत् प्रस्तावित बेहतर आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं से मलिन बस्ती वासियों को वंचित रहना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2015), स्मार–पत्र (जून 2015) के बावजूद जवाब प्रतीक्षित है।

**शिक्षा विभाग**

### *3.7 सर्व शिक्षा अभियान निधि का अनियमित अवरोधन*

**बिहार वित्तीय नियमों के प्रावधानों का गैर अनुपालन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (जि.का.पदा.) के निगरानी के अभाव एवं प्रधानाध्यापक/सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति से सर्व शिक्षा अभियान योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त निधियों के गैर समायोजन/गैर वसूली के कारण सात जि.का.पदा. द्वारा ₹2.72 करोड़ का अनियमित अवरोधन।**

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 (बि.वि.नि.) के नियम 39 के साथ पठित नियम 9 यह परिकल्पित करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक, जो लोकनिधियों से व्यय करते हैं या व्यय प्राधिकृत करते हैं को वित्तीय औचित्यता के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित हाने चाहिए एवं बिना उचित वजह कोई भी राशि सरकार का बकाया नहीं होना चाहिए एवं कहीं कोई देय वसुली मालूम पड़ता है तो सक्षम प्राधिकारी से समायोजन का आदेश अवश्य लेना चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अभि.) की मार्गदर्शिका विचार करता है कि विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) द्वारा निर्माण कार्य, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बि.शि.परि.प.) और या इसके प्रतिनिधि (जि.का.पदा./स.शि.अभि.) एवं वि.शि.स. के बीच हुए एकरारनामा के अन्तर्गत निधि प्राप्त होने के तीन माह के अंदर किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वि.शि.स. को प्रदान की गई राशि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों में रखा जाना था। वि.शि.स. के खातो का संचालन, सचिव वि.शि.स. एवं विद्यालय प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना था। जि.का.पदा. नियमित पर्यवेक्षण एवं कार्य के मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार थे।

सात जि.का.पदा.[15] के अभिलेखों के लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 तक) कि ₹5.12 करोड़ की राशि 2004–15 के दौरान 48 विद्यालय के वि.शि.स. को अतिरिक्त वर्ग कक्ष (अ.व.क.)/नया विद्यालय भवन (न.वि.भ.)/संसाधन केन्द्र/प्रधानाध्यापक कक्ष एवं भंडार कक्ष के निर्माण हेतु प्रदान किया गया था। इनमें से 31 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/सचिव ने ₹2.70 करोड़ की राशि निकासी की एवं ₹1.54 करोड़ का निर्माण कार्य सम्पन्न किया तथा शेष ₹1.16 करोड़ संबंधित प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा रोक कर रखा गया। बाद में ₹5.12 करोड़ में से ₹1.56 करोड़ राशि 17 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा निकासी की गयी, परंतु निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ किया जाना था (सितम्बर 2015)। ये राशि प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. द्वारा एक से सात वर्षों तक रोक कर रखा गया था। जाँच क्रम में यह भी पाया गया कि दो जिलो[16] के दो प्रधानाध्यापकों की मृत्यु हो चुकी थी, चार जिला[17] आठ प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके थे (सितम्बर 2012 से जनवरी 2015 तक) एवं 22 प्रधानाध्यापक अपने प्रभार से मुक्त हो चुके थे

---

15 *बेगुसराय, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी और सीवान*

16 *कटिहार और पूर्णियाँ*

17 *बेगुसराय, दरभंगा, कटिहार और सीवान*

***(परिशिष्ट 3.3)***। प्रधानाध्यापकों को बकाया राशि वसूल किये बिना कार्य प्रभार से मुक्त करना संबंधित जि.का.पदा. की तरफ से एक गंभीर चुक है, जबकि सेवानिवृत्त/मृत प्रधानाध्यापक से वसूली की संभावना सुदूर था। प्रधानाध्यापको/सचिव, वि.शि.स. द्वारा निकास की गई कुछ राशि की उनके द्वारा गबन करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, बिहार वित्तीय नियम के प्रावधानों का गैर अनुपालन जि.का.पदा. के निगरानी के अभाव तथा प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. से गैर समायोजन/गैर वसूली के कारण से सात जि.का.पदा. में ₹2.72 करोड़ का अनियमित अवरोधन हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर राज्य परियोजना निदेशक, बी.ई.पी.सी. ने कहा (अगस्त 2015) कि जि.का.पदा. एवं बी.ई.ओ. को एफ.आई.आर. दर्ज करने एवं दोषी से राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित प्रधानाध्यापकों/सचिव, वि.शि.स. से राशि की गैर समायोजन/गैर वसूली उपरोक्त वित्तीय प्रावधनों/नियमों के प्रति जि.का.पदा. की लापरवाही एवं गैर अनुपालन का सूचक था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2015); स्मार पत्रों (जुलाई 2015, अगस्त 2015 एवं सितम्बर 2015) के बावजूद जवाब प्रतीक्षित है ।

## आर्थिक प्रक्षेत्र

### कृषि विभाग

### *3.8 फर्जी इनवॉइस पर अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान*

**जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा अनुश्रवण की कमी के फलस्वरूप ट्रैक्टर की अधिप्राप्ति में कृषकों द्वारा प्रस्तुत फर्जी इनवॉइस के विरूद्ध उनको ₹2.29 करोड़ के अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।**

कृषि विभाग, बिहार सरकार (विभाग) के कृषि यांत्रिकरण योजना कार्यक्रम के तहत कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु योग्य कृषकों को अनुदान दिया जाना था। कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत (2012–15) कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन अनुदेशों के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी (जि.कृ.पदा.) द्वारा कृषकों को किसान मेला में आवेदन का समूचित जाँच कर योग्य कृषकों को अनुदान प्रदान करने हेतु किसी अधिकृत एजेन्सी से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय किये जाने के लिए स्वीकृत–पत्र निर्गत किया जाना चाहिए था। क्रय का सत्यापन जि.कृ.पदा. द्वारा क्रय किए जाने के दो से छः माह के अंदर कृषकों के घरों पर जाकर किया जाना चाहिए था। किसान मेला में उपकरणों का क्रय सुनिश्चित करने के उदद्ेश्य से जि.कृ.पदा. को कैश मेमों प्रतिहस्ताक्षरित करना चाहिए था तथा कृषकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कैश मेमों के आधार पर अनुदान का दावा किया जाना चाहिए था। कपट की स्थिति में कृषक से अनुदान की वसूली की जानी चाहिए थी तथा विधि के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए थी।

नौ[18] जि.कृ.पदा. के अंतर्गत कृषि उपकरणों (ट्रैक्टर) के क्रय इनवॉइस के नमूना जाँच (दिसम्बर 2014 से जुलाई 2015) से पता चला कि किसान मेलों में 486 ट्रैक्टरों का क्रय दर्शाया गया था। यद्यपि इनवॉइस तथा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.परि.पदा.) से गाड़ियों के निबंधन के संबंधित आँकड़ों के पारस्परिक सत्यापन से

[18] *भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी तथा सीतामढ़ी*

पता चला कि (दिसम्बर 2014 से जुलाई 2015) कि 486 ट्रैक्टरों में से 449 ट्रैक्टर की क्रय की तिथि जुलाई 2012 से मार्च 2015 के दौरान आयोजित किसान मेलों के या तो पहले या बाद में तथा 37 का क्रय तब किया गया था जिस अवधि में कोई किसान मेला आयोजित नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि कृषकों द्वारा ₹2.29 करोड़ के अनुदान को प्राप्त करने हेतु फर्जी इनवॉइस प्रस्तुत किया गया ***(परिशिष्ट 3.4)***।

यह भी देखा गया कि:

- जि.कृ.पदा., भागलपुर, छपरा, हाजीपुर, किशनगंज, मोतिहारी तथा सीतामढ़ी के अंतर्गत बारह कृषकों (486 में से) तथा जिनको ₹5.70 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया था द्वारा ट्रैक्टरों के क्रय हेतु वैसा इनवॉइस प्रस्तुत किया गया जो जि.परि.पदा. के अभिलेखों के अनुसार दूसरे व्यक्तियों से संबंधित थे ***(परिशिष्ट 3.5)***।

- 486 में से 470 ट्रैक्टर व्यवसायिक वाहनों के रूप में पंजीकृत थे।

इस प्रकार, जि.कृ.पदा. के द्वारा क्रय के अनुश्रवण की कमी के फलस्वरूप फर्जी इनवॉइस के विरूद्ध ₹2.29 करोड़ के अनुदान का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

जि.कृ.पदा., बिहारशरीफ ने जवाब दिया (जनवरी 2015) कि मामले की समीक्षा की जाएगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जि.कृ.पदा., किशनगंज ने जवाब दिया (फरवरी 2015) कि ट्रैक्टर के क्रय की तिथि के संदर्भ में जि.परि.पदा., किशनगंज से पत्राचार किया गया है। जि.कृ.पदा., मोतिहारी ने जवाब दिया (जून 2015) कि किसान मेलों में कृषकों द्वारा प्रदत्त उपकरणों के क्रय से संबंधित मूल इनवॉइस के आलोक में अनुदान दिया गया है। जि.कृ.पदा.,गोपालगंज, मधुबनी, हाजीपुर तथा सीतामढ़ी ने जवाब दिया (मार्च 2015 से मई 2015) कि संबंधित दस्तावेजों की जाँच करने के उपरांत कार्रवाई आरंभ की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जि.कृ.पदा., भागलपुर ने जवाब दिया (जुलाई 2015) कि विभागीय दिशा–निर्देशों के तहत लाभार्थियों किसानों को भुगतान किया गया। जि.कृ.पदा., छपरा ने जवाब दिया (जून 2015) कि 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान आयोजित मेलों में क्रय के संदर्भ में कैश मेमों के आधार पर लाभार्थी को अनुदान दिया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015); स्मार–पत्रों (जून 2015 तथा अगस्त 2015) के बावजूद, जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

### *3.9 सरकारी धन का गबन*

**बिहार कृषि उपज बाजार विनियम, 1975 के प्रावधानों के गैर अनुपालन एवं बैंक खाता में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह और उनके जमा की जाँच में विशेष पदाधिकारी–सह –अनुमंडल पदाधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹50.40 लाख सरकारी धन का गबन।**

बिहार कृषि उपज बाजार (बि.कृ.उ.बा.) विनियम, 1975 के नियम 68 में प्रावधान है कि कृषि समिति के पक्ष में प्राप्त सभी धन एक निधि अर्थात ''बाजार समिति निधि'' में अनुमानित एवं जमा किए जाएगें। इस निधि में रखे जाने वाले सभी धन एक सप्ताह में कम–से–कम एक बार भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए जाएगें। आगे, बि.कृ.उ.बा. विनियम, 1975 के नियम 84 (i) परिकल्पित करता है कि तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित रसीदें उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे सरकारी कर्मचारी द्वारा जो बाजार समिति के पक्ष में सभी धन संग्रह/प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हो, राशि संग्रह की जाती है तथा रसीद की एक प्रति कार्यालय अभिलेख के लिए रखी जाएगी। कृषि विभाग बिहार

सरकार (बि.स.) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3875 दिनांक 13 सितम्बर 2006 के अनुसार संबंद्ध अनुमंडल पदाधिकारी को बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। विशेष पदाधिकारी बाजार समिति सभी चल और अचल सम्पति का प्रभार लेगें जिसमें किराये पर दिये गये दुकान और गोदाम भी शामिल होगें।

कार्यालय, विशेष पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी (वि.प.–सह–अ.पदा.) कृषि उपज बाजार समिति (कृ.उ.बा.स.), समस्तीपुर के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया (दिसम्बर 2014) किः

- बाजार समिति द्वारा अगस्त 2012 से जूलाई 2014 के दौरान व्यापारियों से किराये के रूप में मनी रसीदों (म.र.) के माध्यम से ₹28.13 लाख प्राप्त किये गये थे जो कृ.उ.बा.स. समस्तीपुर के पक्ष में बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद (बि.रा.कृ.वि.प.) पटना द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन रकम न तो रोकड़ बही तथा दैनिक संग्रह पंजी में दर्ज थे न ही कृ.उ.बा.स. के बैंक खाते में जमा थे ***(परिशिष्ट 3.6)***।
- कृषि उपज बाजार समिति द्वारा वर्ष 2013–14 में चेक और नगदी के माध्यम से ₹43.96 लाख एकत्र किए गए थे तथा वर्ष 2013–14 के लिए कृ.उ.बा.स. का प्रारंभिक शेष ₹0.60 लाख था। हॉलांकि केवल ₹29.31 लाख बैंक में जमा किए गए थे और ₹14.65 लाख की शेष राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 3.6)***।
- वर्ष 2011–12 और 2012–13 की 11 प्राप्तियों की राशि ₹7.63 लाख फरवरी 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान बैंक में जमा नहीं किए गए थे हॉलांकि इन्हें रोकड़ बही में दर्ज किया गया था ***(परिशिष्ट 3.6)***।

इसे इंगित करने पर (दिसम्बर 2014) वि.प.–सह–अ.पदा., कृ.उ.बा.स., समस्तीपुर ने कहा कि लेखा लिपिक जो 31 जनवरी 2014 को सेवानिवृत हुये, ने सत्यापन हेतु अभिलेखों को जमा नहीं किया तथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी (3 दिसम्बर 2014) तथा निलामवाद (13 जनवरी 2015) दर्ज कराया गया है। हॉलांकि जवाब, सरकार के खाते में धन की नियमित रूप से जमा की जाँच करने हेतु नियंत्री पदाधिकारी के जिम्मेदारी के सम्बंध में मौन था। आगे, वि.प.–सह–अ.पदा. द्वारा दिये गये जवाब और कार्रवाई स्वीकार्य नहीं थे चूंकि बैंक में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह एवं उनके जमा की जाँच में वि.प.–सह–अ.पदा. की विफलता, लापरवाही तथा बि.कृ.उ.बा. विनियम एवं सरकारी अधिसूचना के नियमों का गैर अनुपालन का संकेत था।

इस प्रकार, बि.कृ.उ.बा. विनियम के प्रावधानों के गैर अनुपालन एवं बैंक खातों में दैनिक प्राप्तियों के संग्रह और उनके जाँच में वि.प.–सह–अ.पदा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹50.40 लाख की राशि के सरकारी धन का गबन हुआ।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2015), स्मार पत्र (मई 2015) के बावजूद जवाब प्रतीक्षित है।

## जल संसाधन विभाग

### *3.10 व्यर्थ व्यय*

**वर्ष 2010 बाढ़ के पहले कटाव निरोधक समिति द्वारा बोल्डर सतहीकरण कार्य की कटौती की अनुशंसा के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप सरकार द्वारा ₹1.18 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।**

बाढ़ प्रबंधन नियमावली, 2003 की कंडिका 4.9 परिकल्पित करता है कि प्रत्येक वर्ष, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्ववर्ती बाढ़ अवधि में नदी के व्यवहार एवं इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर अगले बाढ़ मौसम से पूर्व बाढ़ सुरक्षा कार्यों की सूची तैयार

करेंगे। इस उद्देश्य के लिए जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) के प्रत्येक मुख्य अभियंता (मु.अ.) अपने क्षेत्राधिकार के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए कटाव–निरोधक समिति (क.नि.स.) का गठन करेंगे। क.नि.स. की अनुशंसा के आधार पर, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्राक्कलन तैयार कर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (रा.त.स.स.) के समक्ष उपस्थापित करेंगे। जल संसाधन विभाग के क्षेत्रिय पदाधिकारी, त.स.स. के अनुशंसा पर संशोधित योजनाओं को पुनः अत्यावश्यक योजनाओं के चयन हेतु विभागीय योजना समीक्षा समिति (यो.स.स.) के समक्ष उपास्थापित करेगें।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), बेगुसराय के अभिलेखों के नमूना जाँच (अगस्त 2013) में पाया गया कि मुंगेर बाँध जो कि 17 कि.मी. से 18 कि.मी. के बीच ग्राम–अयोध्या, बारूनी के नजदीक गंगा नदी के बाँये तटबंध पर अवस्थित है, के कटाव निरोधक कार्य जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2009) ₹1.28 करोड़ एवं तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) (जनवरी 2010) ₹1.14 करोड़ थी को एक अभिकरण को ₹1.18 करोड़ में कार्य करने के लिए आवंटित (मार्च 2010) किया गया जिसे मई 2010 तक पूरा किया जाना था। हाँलांकि यह देखा गया कि क.नि.स. का कटाव निरोध के लिए बोल्डर तथा परक्यूपाइन कार्य[19] (अक्टूबर 2009) के प्रस्ताव को त.स.स. द्वारा बिना कोई कारण बताए ही बदल दिये गये थे। विभाग ने सिर्फ त.स.स. (अक्टूबर 2009) एवं यो.स.स. (दिसम्बर 2009) की अनुशंसाओं पर परक्यूपाइन का कार्य कराया। कार्य को मार्च 2010 में आरंभ कर मई 2010 में अभिकरण द्वारा समाप्त किया गया तथा ₹1.18 करोड़ का भुगतान इसे किया गया। हाँलांकि, कार्यान्वित कार्य गंगा नदी के प्रवाह को रोकने में असफल रहा तथा ज्यादातर परक्यूपाइन वर्ष 2010/2011 के बाढ़ के दौरान बह गये।

संवीक्षा में आगे यह पाया गया कि क.नि.स. ने वर्ष 2011 के बाढ़ से पहले पुनः बोल्डर तथा परक्यूपाइन सुरक्षा कार्य संपादित करने हेतु अनुशंसा[20] (दिसम्बर 2010) की। तकनीकी सलाहकार समिति एवं योजना समीक्षा समिति ने परक्यूपाइनस की विफलता के पूर्व के अनुभव को समझने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा संवेदक के साथ ₹6.04 करोड़ का एकारनामा संपादित (फरवरी 2011) किया। कार्य जून 2011 में पूर्ण कर लिया गया तथा इसके लिए 6.04 करोड़ का भुगतान किया गया। उक्त तिथि (मई 2015) तक कार्य बचा हुआ था।

इस प्रकार, वर्ष 2010 के बाढ़ से पहले क.नि.स. द्वारा बोल्डर सतहीकरण कार्य की कमी की अनुशंसा के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार का ₹1.18 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बेगुसराय ने जवाब में यह स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 के बाढ़ के दौरान परक्यूपाइन बह गये। इसे ज.स.वि. समस्तीपुर के मु.अ. तथा ज.स.वि., बिहार सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा भी पुष्टि किया गया (मई 2015)।

---

[19] *चैनल 22मी.×1.20मीटर अप्रैन के सामने 210 मी. लम्बाई में बोल्डर सतहीकरण कार्य जिसमें दोनो किनारो पर एनकरेज तथा 16.5 मीटर सी./सी. पैनल में 0.60 मी. की मोटाई का सलोप पीचिंग तथा 150 मी. चैनल के आर पार दो सतहों मे पाँच रो. मे. आर.सी.सी. परक्यूपाइन स्क्रीन का बिछाया जाना था।*

[20] *बोल्डर सतहीकरण 22मी. × 1.2मी. के द्वारा (पैनल में क्रेटेड बोल्डर द्वारा) एन.सी. बेस के ऊपर प्रेन में 600 मी. लम्बाई में दोनों तरफ एनक्रेन तथा स्लोप में मी. मोटाई का बोल्डर पीचिंग जी.टी.एफ. पैनल में किया जाना था तथा टॉप की कैपिंग 1.5मी. × 0.6 मी. मोटाई के क्रेटेड बोल्डर से ताकि चैनल को बंद करने के लिए आर.सी.सी. परक्यूपाइन एम 200 जिसमें कि नामिनल मिक्स (1:5:3) फाउंडेन में कैनाल में विभिन्न भागों में या बांध तथा 600 बने हुए परक्यूपाइन की हौल्डिंग कर पौलसिंग किया जाना तथा झाँकी द्वारा भराई किया जाना।*

जवाब में सरकार ने कहा (सितम्बर 2015) कि कार्य को ₹118.48 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद पूर्ण किया गया। कार्य द्वारा वर्ष 2010 के बाढ़ के तीव्रता तथा उग्रता को रोका जा सका तथा यह स्थल की क्षति को कम करने में भी सहायक सिद्ध हुआ था और इससे प्रयोजन को पूरा किया गया। इस प्रकार कटाव निरोधक कार्य पर लगाया गया लागत फलदायी था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था जैसा कि क.नि.स. के अनुशंसा के अनुसार संरचना का निर्माण पूर्ण सुरक्षा हेतु स्थल की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किया जाना था और न कि क्षति को उस सीमा तक कम किये जाने हेतु। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि त.स.स. तथा यो.स.स. के द्वारा बाढ़ वर्ष 2011 के लिए क.नि.स. के अनुशंसा को पूर्ण रूप से माना गया तथा जिससे कार्य को बचाये रखने में सफलता मिली।

## पथ निर्माण विभाग

### *3.11 परिहार्य अधिक भुगतान*

**सेवा कर को विमुक्त किए जाने के भारत सरकार के अधिसूचना की अवहेलना करते हुए मुख्य अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन में सेवा कर की अनियमित समावेशन के फलस्वरूप संवेदको को ₹11.23 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।**

वित्त मंत्रालय भारत सरकार (भा.स.) के यथा संशोधित अधिसूचना (जुलाई 2009) के अनुसार पथों के मरम्मति, संधारण, प्रबंधन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त कर योग्य सेवाएँ उस पर लगनेवाले सेवा कर से विमुक्त है।

छः पथ प्रमंडलों[21] (प.प्र.) के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (मई 2014 से मई 2015) कि पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा दीर्घ कालीन उत्पादन एवं निष्पादन आधारित परिसम्पत्ति संधारण संविदा (ओ.पी.आर.एम.सी.) हेतु ₹329.22 करोड़ जिसमें ₹36.22 करोड़ का सेवा कर सम्मिलित था के प्राक्कलित लागत मूल्य[22] (प्रा.ला.मू.) के आधार पर निविदाएँ निकाली गई (सितम्बर 2013 तथा अक्टूबर 2013) जबकि पथ के मरम्मति एवं संधारण से संबंधित सेवाएँ सेवाकर से मुक्त थे। तदनुसार, संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (का.अ.) द्वारा ओ.पी.आर.एम.सी. हेतु एकरारनामित दर पर जिसमें सेवा कर भी सम्मिलित था, एकरारनामा किया गया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014) एवं प्रमंडलों[41] द्वारा संवेदकों को ₹102.05 करोड़ का भुगतान किया गया (जनवरी 2014 से मई 2015) जिसमें ₹11.23 करोड़ सेवा कर भी सम्मिलित था ***(परिशिष्ट 3.7)***। प्राक्कलन में सेवा कर का समावेशन कार्यपालक अभियंताओं द्वारा एकरारनामा करने के समय भी नहीं देखा गया। इस प्रकार, सेवा कर को विमुक्त करने के भारत सरकार के अधिसूचना की अवहेलना करते हुए मुख्य अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन में सेवा कर की अनियमित समावेशन किए जाने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹11.23 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।

पथ प्रमंडल शेखपुरा एवं मधेपुरा के कार्यपालक अभियंताओं ने जवाब दिया (जून 2014) कि मामला उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जायेगा। हाँलांकि, पथ प्रमंडल शेखपुरा द्वारा संवेदकों के विपत्रों से सेवा कर की कटौती की गई तथा इसे जमा शीर्ष[23] में रखा

---

*21 भभूआ, कटिहार, मधेपुरा, नूतन राजधानी प्रमंडल पटना, पटना सिटी गुलजारबार, शेखपुरा*

*22 कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किया गया तथा अंतिम रूप से मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया।*

*23 बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के निमय 37 के अंतर्गत यह एक लघु शीर्ष उचंत का भाग है।*

गया परंतु बाद में अगस्त 2014 में संवेदकों को राशि विमुक्त कर दिया गया। पथ प्रमंडल कटिहार एवं भभुआ के कार्यपालक अभियंताओं ने जवाब दिया (फरवरी 2015 तथा मई 2015) कि एकरारनामा के अनुसार भुगतान किये गये थे। नूतन राजधानी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि इस मामले में प्रमंडल की कोई भूमिका नहीं थी। पटना सिटी, गुलजारबाग के कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (जनवरी 2015) कि चूंकि सेवा कर की राशि प्राक्कलन में सम्मिलित की गई थी, सरकार से निर्देश प्राप्त किया जाएगा। शेष पथ प्रमंडलों ने संवेदकों के चालू विपत्रों[24] से सेवा कर की कटौती कर इसे जमा शीर्ष में रख दिया। कटिहार तथा भभुआ प्रमंडलों का जवाब स्वीकार्य नहीं था, चूंकि प्राक्कलन में सेवा कर को अनियमित ढंग से सम्मिलित किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2015); स्मार के बावजूद (जून 2015) जवाब अभी भी अप्राप्त है।

## गन्ना उद्योग विभाग

### *3.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अमान्य प्रतिपूर्त्ति*

**गन्ना विकास विभाग के संकल्प के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹5.85 करोड़ की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अदेय प्रतिपूर्ति की गई।**

राज्य की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राज्य में निजी क्षेत्र/सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिलों के तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु गन्ना विकास विभाग (ग.वि.वि.) द्वारा एक 'प्रोत्साहन पैकेज 2006' का सूत्रण किया गया (सितम्बर 2006)। संकल्प परिकल्पित करता है कि प्रोत्साहन पैकेज का लाभ सिर्फ उन्हीं मिलों को देय होगा जो कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (रा.नि.प्रो.प.) के अनुमोदन की तिथि के तीन वर्ष के अंदर 5000 टन गन्ना प्रति दिन (टी.सी.डी.) तक क्षमता विस्तार कर ले। संकल्प यह भी परिकल्पित करता है कि चीनी मिल के क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादित चीनी की मात्रा पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी। आगे, कार्यकारी व्यापार नियमावली 1979 के अनुसार वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किए बिना कोई भी विभाग कोई ऐसा आदेश प्राधिकृत न करेगा जो सीधे या परिणामस्वरूप राज्य के वित्त पर प्रभाव डाले।

गन्ना उद्योग विभाग (ग.उ.वि.) के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (अप्रैल 2015) कि रा.नि.प्रो.प. ने मे. जयश्री चीनी मिल[25] मंझौलिया, पश्चिमी चम्पारण के क्षमता विस्तार के प्रस्ताव को अक्टूबर 2006 में अनुमोदित किया तथा चार वर्षो के उपरांत दिसम्बर 2010 में 5000 टी.सी.डी. व्यवसायिक उत्पादन प्राप्त किया। अतः संकल्प के प्रावधान के अनुसार, मिल किसी भी प्रोत्साहन को पाने योग्य नहीं था। तथापि, प्रधान सचिव (प्र.स.), ग.उ.वि. जुलाई 2011 में निर्गत मार्गदर्शिका के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि अधिकांश उद्योग क्षमता विस्तार में तीन से चार वर्ष ले रहे है, अतः क्षमता विस्तार के पूर्व के दो वर्षो को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। प्रधान सचिव ने भी यह निर्देश दिया कि क्षमता विस्तार की परियोजना पर रा.नि.प्रो.प. द्वारा प्रदत स्वीकृति का पेराई सत्र एवं ठीक पहले के पेराई सत्र की औसत मात्रा को चीनी मिलों द्वारा क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त चीनी उत्पादन की गणना हेतु विचार किया जाएगा। यह मार्गदर्शिका सितम्बर 2006 में निर्गत संकल्प के अनुकूल नहीं थी। इसके

---

24 *बेगुसराय, दरभंगा, जमुई एवं मुजफ्फरपुर*

25 *पूर्ववर्त्ती मे.एम.पी. चीनी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मंझौलिया*

अलावा कार्यकारी व्यापार नियमावली, 1979 के तहत भी इसका अनुमोदन वित्त विभाग से प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रधान सचिव के निर्गत मार्गदर्शिका सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹5.85 करोड़ (₹1.47 करोड़, ₹1.77 करोड़ एवं ₹2.61 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिए) के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अमान्य प्रतिपूर्ति किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (जून 2015) विभाग द्वारा जवाब दिया गया (अगस्त 2015) कि रा.नि.प्रो.प. के द्वारा दो चरणों में परियोजना के क्षमता विस्तार 3500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. की स्वीकृति दी गई थी। प्रथम स्वीकृति 9 दिसम्बर 2006 तथा द्वितीय स्वीकृति 8 मार्च 2010 (4300 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी.) को प्रदान की गई थी। आगे, यह भी बताया गया कि किसी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सचिव, ग.उ.वि. का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रा.नि.प्रो.प. के द्वारा पूर्व में ही 9 अक्टूबर 2006 को 3500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी तक के क्षमता विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि मिल के द्वारा क्षमता विस्तार के उपरान्त व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने में दिसम्बर 2010 तक चार वर्ष लगे थे। दूसरा प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले पैकेज (मार्च 2014) तक भी अक्षुण्ण रहा।

(पी.के. सिंह)

**पटना**
**दिनांक:** **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(शशि कान्त शर्मा)**

**नई दिल्ली**
**दिनांक:** **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**